कार्यालय प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प. क. विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
07 FEB 2012

Dir. AIDS
01-02

**अर्द्धशासकीय पत्रांक**
**प 12 (8) परि/2010**
**जयपुर, दिनांकः–30.01.2012**

जैसा कि आपको इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 03.01.2012 व 19.01.2012 के द्वारा लिखा जा चुका है कि जनता के स्वास्थ्य के मध्यनजर निगम की बसो पर से **"पान मसाला–गुटखा"** के प्रचार प्रसार हेतु लगे विज्ञापनों को तत्काल प्रभाव से हटाया जावे। इसी क्रम में प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन की ओर से संलग्न अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 29.12.2011 भी प्राप्त हुआ है।

प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन के उक्त पत्र के साथ अतिरिक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, माननीय उच्च न्यायालय, गुजरात के निर्णय दिनांक 22.12.2010 एवं विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पाद (व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के लिये विज्ञापन एवं नियत्रंण पर प्रतिबंध) अधिनियम, 2003 प्राप्त हुए है जो आपको इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाये जा रहे है। इन संलग्नको के अनुसार यह पूर्णतया स्पष्ट है कि निगम की बसों पर तम्बाकू उत्पादों का प्रदर्शन नियम विरूद्ध एवं माननीय न्यायालय के आदेशों की अवमानना है।

अतः निगम की बसो पर प्रदर्शित समस्त प्रकार के तम्बाकू उत्पादो के विज्ञापनो को तत्काल प्रभाव से हटवाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजवाने का श्रम करें। माननीय न्यायालय द्वारा अवमानना की स्थिति का आदेश दिये जाने पर इसके लिये आप स्वंय जिम्मेदार होगे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

शुभेच्छु
-sd
**(दीपक उप्रेती)**
**परिवहन आयुक्त एवं**
**प्रमुख शासन सचिव**

**डॉ. मंजीत सिंह,**
**अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,**
**राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,**
**जयपुर।**

प्रतिलिपिः–श्री बी.एन.शर्मा, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर को उनके अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 600 दिनांक 29.12.2011 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

शासन उप सचिव (परिवहन)

NO/PA/Dir/AIDS/
07 FEB 2012
D. M. & H. S. (AIDS)
ATC